मुन्तकिली प्रकरण संख्या 55/2021 (GCMS : 2021/ 166) **मनप्रीत कौर पुत्री गुरतेज सिंह** जाति जटसिख निवासी गांव व पोस्ट ऑफिस 6एफ ए, रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर **बनाम** 1. सुभाष कुमार चौधरी, उपखण्ड अधिकारी राजस्व **श्रीकरणपुर** 2. **हजूर सिंह** पुत्र स्व. श्रीलाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 3. **हरनेक सिंह** पुत्र स्व. श्रीलाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.02.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलविन्द्र सिंह उपस्थित है एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की, शामिल पत्रावली की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रकरण संख्या /2019 अनवानी मनप्रीत कौर बनाम हजूर सिंह वगै. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लम्बित है जिसमें अप्रार्थी 2 व 3 के पिता श्री लाल सिंह के नाम से वाके चक संख्या 3 एफसी के खाता सं.26/60 के मु.नं. 41 में कुल रकबा 1.581 हेक्टर नहरी में से 1043/1581 हिस्सा नहरी भूमि कागजात माल में दर्ज है एवं चक 3एफ सी के खाता सं. 67/64 के मुं.नं. 5 में कुल 3.046 हेक्टर नहरी भूमि में से 2033/3086 व 351/3086 हिस्सा नहरी भूमि कागजात माल दर्ज है लाल सिंह के नाम से वाके चक 3 एफसी के खाता संख्या 66263 के मु.नं. 6, 7 व 53/26 में कुल 3.339 हेक्टर नहरी भूमि में से 3086/3339 हिस्सा नहरी भूमि दर्ज है लाल सिंह की दिनांक 25.02.20217 को मृत्यु को गई है जिसके जायज वारिसान हजूर सिंह, हरनेक सिंह व जसविन्द्र कौर उर्फ सतविन्द्र कौर (मृतक) है। लाल सिंह की मृत्यु से पूर्व उसकी पुत्री जसविन्द्र कौर उर्फ सतविन्द्र कौर की दिनांक 10.09.2012 को मृत्यु हो चुकी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

परन्तु जसविन्द्र कौर ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्सा की वसीयत अपनी मुंह बोली बहिन मनप्रीत कौर पुत्री गुरतेज सिह प्रार्थीया के हक में करवा दी थी। अब प्रार्थीगण सं. 2 व 3 लाल सिंह की तमाम भमि का विरास्तन इंतकाल अपने दोनों के नाम से करवाना चाहते है जबकि लाल सिंह के तीन वारिस थे। इस प्रकार उक्त भूमि में जसविन्द्र कौर उर्फ सतविन्द्र कौर का भी हिस्सा बनता था व उसकी मृत्यु के बाद वसीयत की रूह में प्रार्थीया द्वारा वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब आने पर प्रार्थना पत्र पर दिनांक 06.10.2021 को बहस सुनी गई और अब पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22.10.2021 नियत है।

उनका आगे यह कथन है कि अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 राजनैतिक अप्रोच वाले व्यक्ति है जिनके द्वारा प्रार्थना पत्र का निर्णय अपने पक्ष में करवाने के लिए येन केन प्रकरण राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल पीठासीन अधिकारी पर किया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी को फोन करवाये जा रहे है तथा पीठासीन अधिकारी से बार – बार उने चैम्बर में मिल रहे है। पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस प्रार्थना पत्र के दौरान स्पष्ट रूप से न्यायालय में इजहार किया कि उन पर काफी दबाव है इसलिए वे उसका प्रार्थना पत्र खाजिर करेगें जिससे प्रार्थिया को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं हैं अतः प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मुंतकिल किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण संख्या 61/2019 अनवानी मनप्रीत कौर बनाम हजूर सिंह वगै. उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में कर रखा है और जब पत्रावली में सुनवाई हेतु अंतिम तिथि निर्धारित की गई तो प्रार्थिया ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने की दृष्टि से यह प्रकरण प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना खारिज करने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:30:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण की कोई राजनैतिक अप्रोच नहीं है और न ही उन्होनें पीठासीन अधिकारी को कोई फोन करवाये है और न ही पीठासीन अधिकारी से वे मिलने गये है। केवल मात्र प्रार्थिया द्वारा कयास के आधार न्याय न मिलने की आशंका जाहिर की है, जबकि विचाराधीन प्रार्थना पत्र को मुन्तकिल करवाने का कोई ठोस आधार उनके पास नहीं है। इसलिए प्रार्थिया का मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

मैने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 03.11.2021 एवं पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थिया मनप्रीत कौर ने अधीनस्थ न्यायालय में 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण संख्या 61/2019 अनवानी मनप्रीत कौर बनाम हजरू सिंह आदि को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। इस न्यायालय को धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

प्रार्थिया मनप्रीत कौर द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि [illegible] **वाले व्यक्ति है** और पीठासीन अधिकारी उसके [illegible] न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थिया द्वारा यह आरोप [illegible] आधार पर लगाया है। अगर वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने सम्बन्धी कथन को यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे तो ऐसा प्रभाव होने सम्बन्धी आरोप जिले के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारियों पर भी लगाया जा सकता है। मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए, जिसका इसमें पूर्ण अभाव है। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति है जो कभी भी किसी पर, किसी भी समय लगाया जा सकता है। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल प्रकरण में विलम्ब करने के लिए पेश किया जाना प्रतीत होता है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निणर्य की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:30:27 IST
Reason: SelfAttested